

**न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर**

प्रकरण सं. दावा/72/2019

दर्ज दिनांक:-04.07.2019

हीरालाल पुत्र प्रभु जाति जाटव निवासी ग्राम धौरमुई तह. व जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

**बनाम**


1. लाखन सिंह पुत्र पतरे
2. ब्रजमोहन पुत्र पतरे
3. ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र पतरे
4. भोला पुत्र लाखन सिंह

.....अप्रार्थीगण

**निर्णय**

दिनांक:-29.11.2019

पत्रावली पेश हुई। वादी दावा विद्धो किए जाने पर खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रा0पत्र 212 आर.टी.ए. भी विद्धो में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एकपक्षीय निषेधाज्ञा दि0 03.07.2019 निरस्त की जाती है।



(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official